कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हाथरस

पत्रॉक- 616/4B

दिनांक- 19/2/18

सेवा में,

जिलापूर्ति अधिकारी,

हाथरस।

विषयः हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के खसरा संख्या- 161 ग्राम अर्तुरा पर सादाबाद-मथुरा प्रमुख जिला मार्ग 102 पर किमी० 37 चैनेज 36.590 में नवीन रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प की स्थापना की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपके पत्रॉक संख्या- 5219/जि0पू0अधि0-पेट्रो0अनु0/2017 दिनांक 18-12-2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ पत्र के अनुपालन में मुख्य अभियंता आगरा क्षेत्र लो०नि०वि० आगरा के पत्र सं० 2509/116सी०-आ०क्षे०/17 दिनांक 15-2-18 एवं अधीक्षण अभियंता अलीगढ वृत्त लो०नि०वि० अलीगढ के पत्रॉक 599/8सी०-अ०वृ०/17 दिनांक 17-2-2018 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एवं मा० हाईकोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस कोर्ट श्री दिलीप बी०भोसले सी०जे० व श्री यशवंत वर्मा जी के द्वारा रिट नं० 53335/2017 दिनांक 13-11-2017 के क्रम में मा० उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका को दिनांक 13-11-2017 को निस्तारित कर दिया है। जिसमें रेस्पोडेंट संख्या-3 अधीक्षण अभियंता पी०डब्लू०डी० अलीगढ को रिट याचिका संख्या- 53352/2017 व 27184/2013 में पारित आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने हेतु आदेशित किया गया है जिसके क्रम में मा० उच्च न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए एवं जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल हाथरस के पत्रॉक-301/विधिक/2017 दिनांक 4-12-2017 एवं 128/विधिक/2018 दिनांक 12-1-2018 की राय के क्रम में मा० उच्च न्यायालय द्वारा शासनादेशों एवं आई०आर०सी० की गाइड लाइनों की व्याख्या करते हुए भारत सरकार के रोड ट्रान्सपोर्ट एवं हाइवे के उक्त सरक्यूलर दिनांक 25-9-2003 जिसे 24-7-2013 को पुनः जारी किया गया है को नेशनल हाइवे पर फ्यूल आउटलेट प्रस्तावित स्थल होने पर लागू माना है। चूँकि याची का फ्यूल आउटलेट हाइवे पर प्रस्तावित नही है। इसलिये उक्त सरक्यूलर दिनांक 25-9-2003 एवं 24-7-2013 याची के आउटलेट हेतु प्रस्तावित स्थल पर जो प्रमुख जिला मार्ग पर स्थित है पर लागू नहीं है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र को निर्गत न करने के सम्बन्ध में आई०आर०सी० की गाइड लाइन को भी मा० उच्च न्यायालय द्वारा वैध नहीं माना है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गये आदेशों के अनुपालन में निम्न शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की अनुमति प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।

1. प्रस्तावित निर्माण सादाबाद मथुरा प्रमुख जिला मार्ग नं० 102 किमी० 37 चैनेज 36.590 किमी० पर मार्ग के वायी ओर पडता है।
2. प्रस्तावित निर्माण नगर पालिका सीमा के बाहर है।
3. प्रस्तावित स्थल ओपन एग्रीकल्चर लैण्ड में नहीं हैं।
4. मार्ग के मध्य विन्दु से प्रस्तावित प्रथम रिटेल आउटलेट की दूरी 29.29 मीटर है। मार्ग के मध्य विन्दु से प्रस्तावित द्वितीय रिटेल आउटलेट की दूरी 37.29 मीटर है।

आवेदक को लो०नि०वि० मार्ग की मध्य रेखा से 18.29 मीटर की दूरी के पश्चात रिटेल आउटलेट स्थापना की अनुमति संस्तुति निम्न शर्तो के अधीन की जाती है।

I. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मीटर स्पान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय भारत सरकार की विशिष्टियों के अनुरूप प्रार्थी द्वारा स्वयं कराया जायेगा।

---पेज दो पर

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

Place: Agra Date: 05.03.2018

II. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लोक निर्माण विभाग मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथ पुलिया आई0आर0सी0-13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।

III. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पेव्ड एरिया का लेविल सडक के पेंटिंट सतह के मध्य बिन्दु के लेविल से 0.50 मीटर नीचे रखा जायेगा।

IV. बफर स्ट्रिप के पास हैजेज की ऊचाई 60 से0मी0 से अधिक न रखी जाय।

V. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लोक निर्माण विभाग मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाय तथा निर्माण सामिग्री इस सीमा में न रखी जाये मार्ग के मध्य से 18.29 मीटर की दूरी से कम पर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए।

VI. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जायेगा।

VII. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने से पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग हाथरस से लाइसेंस डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।

VIII. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाय इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायितव नहीं होगा।

IX. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही उक्त कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

X. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रिटेल आउटलेट मथुरा सादाबाद प्रमुख जिला मार्ग 102 के किमी0 37 चैनेज 36.590 किमी0 पर ग्राम अर्तुरा तहसील सादाबाद जिला हाथरस में प्रस्तावित स्थल पर निर्माण हेतु पर ही लागू होगा एवं निर्माण कराते समय प्रत्येक दीवाल 90 अंश में होनी चाहिए।

XI. उपरोक्त शर्तो का पालन न करने की दशा में प्रदत्त स्वीकृत स्वतः ही रद्द मानी जायेगी एवं उपरोक्त सभी शर्तो केवल इसी कार्य के लिये ही मान्य होंगी।

संलग्नक- मानचित्र, चैकलिस्ट इत्यादि समस्त प्रकरण मूल में।

(आर0के0 मिश्रा) 9/2/18

अधिशासी अभियंता

प्रा0ख0लो0नि0वि0 हाथरस।

पत्रॉक :

दिनांक:

प्रतिलिपि

1. मुख्य अभियंता को उनके पत्रॉक 2509/116सी0 आ0क्षे0/17 दिनांक 15-2-2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता अलीगढ वृत्त लो0नि0वि0 अलीगढ उनके पत्रॉक 599/8सी0अ0वृ0/17 दिनांक 17-2-2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. अवर अभियंता (प्रा0) प्रा0ख0लो0नि0वि0 हाथरस को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियंता

प्रा0ख0लो0नि0वि0 हाथरस।

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

Place: Agra Date 05-03-2018